कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 568 /12-1(2) *नई टिहरी, दिनांक– 11/9/ 2019*

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no.-FP/UK/Road/14272/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र संख्याः–8बी/यू0सी0पी0/06/144/2016/एफ0सी0/869, दिनांकः–24–07–2019।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उठाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

आपत्तिः– इस कार्यालय के (EDS) पत्र दिनांकः–20–07–2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 03 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्रांकः–29–06–2019 द्वारा प्रस्तुत की है। चूँकि मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम की मार्गदर्शी 4.14 के तहत बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इसके अतरिक्त re-opening of case के तहत आवश्यक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 10 बिन्दुओं के EDS के उत्तर में 06 बिन्दुओं का जवाब दिया है जिन 06 में से भी अधिकांश बिन्दु इस प्रस्ताव से सम्बन्धित नही है। अतः राज्य सरकार EDS दिनांकः–20–07–2016 पूर्ण अनुपालन आख्या अपने स्तर पर जॉच लेने के पश्चात ही इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

निराकरण/आख्याः–उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव पर लगी आपत्ति दिनांकः–20–07–2016 के निराकरण के सम्बन्ध में कुछ अभिलेख नई प्रणाली से तैयार किये गये जिनमें कि काफी समय लगा है। साथ ही प्रश्नगत मोटर मार्ग 05 कि0मी0 लम्बाई का है जिसमें मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि में स्थानीय काश्तकारों का विवाद की स्थिति उत्पन्न होने एवं विवाद का निस्तारण करने में काफी लम्बा समय लगा है। विवाद के निस्तारण के पश्चात संशोधित अभिलेखों के सहित 10 बिन्दुओं (आपत्ति) का निराकरण पत्रांकः–590/10एम0जी0, दिनांकः–26–04–2018 से इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव में ऑनलाईन में त्रुटि होने के कारण पुनः आपत्ति में प्रस्तावक विभाग को भेजा गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः–3093/12–1, दिनांकः–28–12–2018 से मय संलग्नक वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव को वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त द्वारा अपने कार्यालय पत्रांकः–1066/12–1, दिनांकः–07–01–2019 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया है।

क्रमशः – – 2 – –

इसके पश्चात नोडल कार्यालय द्वारा दिनांकः-16-01-2019 को प्रस्ताव पर 06 आपत्तियां लगाई गई। इन 06 आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांकः-443/10एम0जी0, दिनांकः-25-04-2019 से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः-3425/12-1, दिनांकः-04-06-2019 से वन संरक्षक, भागीरथी वृत, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की आपत्तियों के निराकरण में हुए विलम्ब के कारण वन संरक्षण अधिनियम में मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत उक्त प्रस्ताव के बन्द होने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि मोटर मार्ग के महत्व व जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को re-opening of case के अन्तर्गत पुनः खोलते (open) हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रस्ताव को re-opening of case के अन्तर्गत पुनः खोलने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र/स्थल, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

अतः प्रकरण पर निराकरण/आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी